

आवेदन पत्र

स्कीम का नाम:- नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम "प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीडू मैनेजमेंट ऑफ कोप रैजिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली"

1. (निम्नलिखित A,B अथवा C में से उपयुक्त भाग को भरें)

A. (किसान समूह /समिति/संगठन के लिए)

A-1. (किसान समूह /समिति/संगठन का नाम:-.....

श्रेणी (कृष्या √ निशान लगाएँ)

(क) ☐ सहकारी समितियाँ ☐ पंजीकृत किसान समूह ☐ स्वयं सहायता समूह ☐ किसान उत्पादन संगठन (FPOs) ☐ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS)

A-2. किसान समूह /समिति/संगठन का पता :-.....

A-3. पंजीकरण नं० :-..... पंजीकरण वर्ष :-.....
पंजीकरण स्थान:-.....

A-4. पैन कार्ड नं० :-.....

A-5. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व मोबाइल नं०:-.....

A-6. किसान समूह /समिति/संगठन के बैंक खाते का ब्यौरा:-

क. खाता संख्या
ख. बैंक का नाम
ग. शाखा का नाम
घ. आई.एफ.एस.सी. कोड

B. (प्रगतिशील किसान के लिए)

B-1. प्रगतिशील किसान का नाम :-.....

B-2. लिंग (पुरुष/स्त्री) :-

B-3. जन्म तिथि :-.....

B-4. पिता/पति का नाम :-.....

B-5. श्रेणी (कृष्या √ निशान लगाएँ)

(क) ☐ सामान्य ☐ महिला ☐ अनुसूचित जाति ☐ लघु एवं सीमान्त किसान

B-6. पता :- गाँव:..... ब्लॉक:
जिला :-

B-7. मोबाइल नं० :-

B-8. आधार कार्ड नं० :-

B-9. पैन कार्ड नं० :-

B-10. बैंक खाते का ब्यौरा:-

क. बैंक का नाम
ख. शाखा का नाम
ग. खाता संख्या
घ. आई.एफ.एस.सी. कोड

9. (क) यदि नया कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाना है तो प्रस्तावित कृषि यंत्रों एवं उनकी लागत का विवरण दें:-

क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	अनुमोदित सूचिबद्ध कंपनी का नाम	अनुमोदित अधिकतम राशी (रुपये)	अनुदान राशी (रुपये)
1.	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.)				कुल लागत का 80 प्रतिशत
2.	हैप्पी सीडर				
3.	पैडी स्ट्रा चोपर/धेडर/मलचर				
4.	शर्ब मास्टर/कटर-कम-स्प्रेडर				
5.	हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम बी प्लो				
6.	सुपर सीडर				
7.	जीरो टिल ड्रील मशीन				
8.	बेलिंग मशीनस				
9.	कोप रीपर				

9. (ख) यदि पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है तो निम्नलिखित विवरण दें:-

(i) पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार:-

- (अ) स्थापना वर्ष
- (ब) कुल परियोजना की लागत
- (स) कुल प्राप्त अनुदान राशी
- (अ) मौजूदा कृषि यंत्रों के नाम व संख्या:-

क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या
अ	फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र	
1.		
2.		
3.		
4.		
ब	अन्य यंत्र	
1.		
2.		
3.		
4.		
ग.	ट्रैक्टर	
घ.	कंबाईन हारवेस्टर	

(ई) मौजूदा ट्रैक्टर का विवरण:-

- (i) रजिस्ट्रेशन नं०..... (ii) मॉडल
- (iii) रजिस्ट्रेशन वैधता वर्ष..... (iv) हार्स पॉवर.....

(स) मौजूदा कंबाईन हारवेस्टर का विवरण:-

- (i) रजिस्ट्रेशन नं०..... (ii) मॉडल
- (iii) रजिस्ट्रेशन वैधता वर्ष..... (iv) हार्स पॉवर.....
-2.....

- (ii) पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर के विस्तार हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कृषि यंत्रों एवं उनकी लागत का विवरण : (परियोजना रिपोर्ट)

क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	अनुमोदित सूचिबद्ध कंपनी का नाम	अनुमोदित अधिकतम राशी (रुपये)	अनुदान राशी (रुपये)
1.	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.)				कुल लागत का 80 प्रतिशत
2.	हैप्पी सीडर				
3.	पैडी स्ट्रा चोपर/थ्रेडर/मल्चर				
4.	शर्ब मास्टर/कटर-कम-स्प्रेडर				
5.	हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम बी प्लो				
6.	सुपर सीडर				
7.	जीरो टिल ड्रिल मशीन				
8.	बेलिंग मशीनस				
9.	कोप रीपर				

12. प्रस्तावित कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर का पता :-

गाँव:..... डाकखाना:
खण्ड जिला :-

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करता/करते है कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे/ हमारे अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है मैं/ हम भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान व दिशा निर्देशों की पालना करूंगा/ करेंगे।

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:.....

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. सहकारी समिति पंजीकरण की प्रतिलिपि
2. प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रति
3. पैन कार्ड की प्रति
4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
5. प्रस्तावित कस्टम हायरिंग सेंटर के स्थान से संबंधित दस्तावेज
6. पहले से उपलब्ध ट्रैक्टर/कर्बाइन हारवेस्टर के पंजीकरण की फोटोप्रति
7. यदि पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना है (7-ख) तो विभाग द्वारा जारी किये गये स्वीकृति पत्र तथा अदा की गयी अनुदान राशी (बैंक स्टेटमेंट) की फोटोप्रति।

नोट:- किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जिला स्तर कार्यकारी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

सहमति पत्र

मैं / हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं :-

1. हमें मालूम है कि कार्य आदेशों की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के अन्दर-अन्दर कृषि यन्त्र बैंक/ कस्टम हाईरिंग सैन्टर स्थापित किया जाना है अतः संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के पश्चात ही समयबद्ध तरीके से अनुदान राशी बैंक के माध्यम से जारी की जायेगी।
2. हम जानते हैं कि कृषि यन्त्र बैंक/ कस्टम हाईरिंग सैन्टर को स्थापित करने के लिए भूमि/स्थान उपलब्ध करवाने का दिल्ली सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा और भूमि का प्रबंध हमारा दायित्व होगा।
3. हम पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे और पूछे जाने पर कार्य की प्रगति के बारे में सभी सूचना समय-समय पर उपलब्ध करवायेंगे। यदि सरकारी अधिकारी फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित रिकार्ड के बारे में जानना चाहे तो उसे तुरन्त उपलब्ध करवायेंगे।
4. हम सरकार द्वारा निर्धारित की गयी किराया दर को मानने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रदेश के किसानों को उक्त दरों पर ही कृषि यन्त्र उपलब्ध करवायेंगे।
5. हम किसानों की जानकारी हेतु कृषि यन्त्र बैंक/ कस्टम हाईरिंग सैन्टर से संबंधित सभी सूचनाएं तथा किसानों के लाभ के लिए हम उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण देंगे।
6. हम पूर्ण रूप से जानते हैं और सहमत हैं कि हम शपथ पत्र के सभी दिशानिर्देश एवं शर्तें मानने के लिए बाध्य होंगे और इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर केन्द्र का संचालन रद्द कर दिया जायेगा तथा अनुदान राशी भी जब्त कर ली जायेगी।

दिनांक:

स्थान:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

कृषि प्रसार अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी
(मोहर सहित)

आवेदन पत्र पावती

श्री / श्रीमति पुत्र / पत्नि श्री

..... निवासी

से आवेदन पत्र संख्या दिनांक: को प्राप्त हुआ।

दिनांक:

स्थान:.....

कृषि प्रसार अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

(मोहर सहित)